

कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी

Add. - Nainwa Road, Behind Head Post Office, Bundi - 323001

E-Mail:- def.bundi.forest@rajasthan.gov.in, Tel. No. 0747-2456823, Fax No. 0747-2457462

क्रमांक एफ2()वन संरक्षण/उवसं/2020/ 1149

दिनांक : 19.2.21

निमित्त:- संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय:- Diversion of 18-567 ha. forest land in favour of Executive Engineer WR Project
Division Bundi for Construction of canal (LMC & RMC) for Gararda Medium
Irrigation project distt. Bundi. (FP/RJ/IRRIG/30576/2017)

प्रसंग:- अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी एसीए राज० जयपुर की ऑनलाईन क्यूरी
दिनांक 16.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र से विषयांकित प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्राप्त की जानी वाली भूमि के कम में टीप्पणी निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	आक्षेप	पालना
1	Please Give the detail of NFL land with Documentss. How much land was reserved for CA by distt. Collector. How much land was adjusted in the chunk of NFL land before this proposal-give the detail of the proposal also. How much land is still remaining after this proposal.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्राप्त की जानी वाली भूमि पूर्व में चाकण परियोजना के बदले प्राप्त गैर वन भूमि ग्राम कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में 108.61 हैक्टर भूमि आवंटित की गई थी। जिसमें से कार्यालय जिला कलक्टर बून्दी के आदेश क्रमांक 4297-4306 दिनांक 02.06.2016 से विषयांकित प्रकरण में 18.567 हैक्टर भूमि के समायोजन के आदेश प्रसारित किये गये हैं। समायोजित वन भूमि कोटाखुर्द बी वनखण्ड के नाम से नोटिफाइड हैं एवं उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर के क्षेत्राधीन हैं। वर्तमान में जिला कलक्टर बून्दी द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/29812/2017 (लक्ष्मीपुरा-डोरा-डाबी-रानीजी का गुढा एनएच-12) में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्राप्त की जानी वाली भूमि के बदले प्राप्त गैर वन भूमि 32.3264 हैक्टर भूमि के समायोजन की कार्यवाही प्रगतिरत है। अतः ग्राम कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ एवं जिला बून्दी में प्राप्त 108.61 हैक्टर भूमि (वनखण्ड कोटाखुर्द बी0) में से 57.7166 हैक्टर भूमि शेष है।

संलग्न :- वनखण्ड कोटाखुर्द की विज्ञप्ति एवं
जिला कलक्टर का प्रासंगिक आदेश की प्रति

भवदीय
(सोनल जौरिहार)
उप वन संरक्षक
बून्दी

क्रमांक एफ2()वन संरक्षण/उवसं/2020 1150

दिनांक : 19.2.2021

1. प्रतिलिपि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एफसीए राज० जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

(सोनल जौरिहार)
उप वन संरक्षक
बून्दी

Order 2016

कार्यालय जिला कलक्टर बून्दी

संख्या :- 64

दिनांक 20.06.2016

--: आदेश :-

अधिशायी अभियन्ता, जल संसाधन परियोजना खण्ड, बून्दी के पत्र क्रमांक अ.अ./ज.सं./परि./तक./2016/817 दिनांक 18.02.2016 से गरुडदा सिंचाई परियोजना की दायी एवं बायीं मुख्य नहर के निर्माण में आयी वन भूमि के बदले राजस्व भूमि समायोजित किये जाने हेतु निवेदन किया है तथा पत्र क्रमांक 1691 दिनांक 18.04.16 से संलग्न प्राप्त सूची अनुसार इस परियोजना में आयी वन भूमि ग्राम अनुपपुरा के खसरा संख्या कुल किता 18 रकबा 5.461 है, ग्राम बांकी के खसरा संख्या कुल किता 10 रकबा 4.599 हैक्टर, ग्राम मंडावरी के खसरा संख्या कुल किता 4 रकबा 2.350, ग्राम श्रवण की झौपंडिया के खसरा संख्या कुल किता 3 रकबा 1.534 हैक्टर, ग्राम होलासपुरा के खसरा संख्या कुल किता 5 रकबा 1.568 हैक्टर, ग्राम भरूपुरा के खसरा संख्या कुल किता 6 रकबा 2.486 हैक्टर, ग्राम लोईचा के खसरा संख्या कुल किता 3 रकबा 0.575 कुल 7 ग्रामों के कुल 48 खसरा संख्या की 18.573 हैक्टी (विस्तृत सूची संलग्न) है।

शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर की स्वीकृति पत्रांक प. 6(315)राज/ग्रुप-3/97 दिनांक 07.06.99 के अनुसरण में चाकन सिंचाई परियोजना के बदले में वन विभाग को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 8-5(10)राजस्व/94/1927-35 दिनांक 15.6.99 से आवंटित ग्राम कोटा खुर्द तहसील इन्द्रगढ़ की 289.53 हैक्टर भूमि में से उप वन संरक्षक, बून्दी के पत्र क्रमांक () वन संरक्षण/उवस/2016-17/7048 दिनांक 18.05.2016 से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर समायोजन किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

क्रमांक : प.8-5(37) राजस्व/06/ 4297-4306
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. उप वन संरक्षक, बून्दी
3. उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी, बून्दी, तालेडा
4. अधिशायी अभियन्ता, जल संसाधन परियोजना खण्ड, बून्दी
5. तहसीलदार बून्दी/इन्द्रगढ़/तालेडा
6. आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर, बून्दी
दिनांक 20.06.2016

जिला कलक्टर, बून्दी

अतः धन राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए सरकार इनके द्वारा फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर/असिस्टेंट फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेसवट हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन, बसायाघन उसी प्रणाली में किया जावेगा जैसा कि उक्त एक्ट धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रावहित है;

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तु (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत जहाँ में राजस्थान सरकार उक्त जांच अथवा अभिलेखन सम्पादित होने तक, उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस विधारे संरक्षित धन (Protected Area) घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकार किसी भी प्रकार की कमी नहीं प्रायेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अनुसूची में वर्णित किये गये हैं राज-पत्र में इस विज्ञापित उक्त संरक्षित वन के वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में वर्णित किये गये हैं राज-पत्र में इस विज्ञापित प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में, पत्थरों को हटाया जाना सूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशुपालन किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	क्षेत्र
1	2	3	4	5	
1.	कोटाखुर्द B	(क. पाटन) इन्द्रगढ़	बुन्दी	पूर्व-सरहद ग्राम गोवाटा पश्चिम-राजस्थान भूमि कोटा खुर्द उत्तर-राजस्थान भूमि कोटा खुर्द दक्षिण-राजस्थान भूमि कोटा खुर्द	

प्रथम-अनुसूची

वनखण्ड :- कोटा खुर्द B

जिला	तहसील	रेन्ज	ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्र है.	वि.
बुन्दी	क. पाटन	इन्द्रगढ़	कोटा खुर्द	812	6.66	वि.
				829	4.93	
				837	4.63	
				841	7.40	
				842	15.72	
				843	15.77	
				852	3.62	
				858	4.31	
				859	11.07	
				860	10.59	
				861	1.92	
				862	5.45	
				876	9.23	
				1346	7.31	
				14.0	108.61	
					108.61	
					1,086.1	

वन वन्दोवस्त अधिकारी

कोटा

108.61

1,086.1

मिशन किया

पडा

के

सुना

के

रामा प्रति उपनिषिक्त
वन वन्दोवस्त अधिकारी
कोटा

रामा प्रति उपनिषिक्त